Affiliated to C.B.S.E. Affiliation No.-3530154
St. Mary's Sr. Sec. School
Rudrapur (U.S. Nagar)
School Code - ~~69291~~ 81164
Ref. No-

Date 13-04-2023

SELF DECLARATION FORM

DECLARATION

It is hereby declared that the **ST MARY'S SENIOR SECONDARY SCHOOL** located in **GANGAPUR ROAD RUDRAPUR U.S NAGAR UTTARAKHAND** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule and issued Fire Safety Certificate vide **Letter NO.118/N-3/FS/ONLINE/2022** for a period of **3** years in accordance with rule valid from **23/07/2022 to 22/07/2025** and it is further declared that the fire prevention and fire safety measures provided in the building/premises are in working condition as per requirement.

It is further declared that no additions or alterations have been made in the building/premises affecting the fire prevention and fire safety measures including the means of escape and that all exits and passages are free from any obstruction.

S.No	TYPE	QUANTITY	CONDITION
1	ABC 04 KG	22	ALL ARE WORKING
2	ABC 05 KG	11	ALL ARE WORKING
3	ABC 06 KG	01	ALL ARE WORKING
4	ABC 02 KG	01	ALL ARE WORKING
5	CO_2 02 KG	03	ALL ARE WORKING
6	FIRE HOSE REEL	12	ALL ARE WORKING
7.	SAND BUCKET	04	-

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी ★ उधम सिंह नगर ★
18/04/23

PRINCIPAL
St. Mary's Sr. Sec. School
Rudrapur, U. S. Nagar,
Uttarakhand

one : 05944-241373, 8979491769
ool.stmarys@gmail.com
w.stmarysrudrapur.org
st Box No. 3, Rudrapur - 263 153, Dist. Udham Singh Nagar, (Uttarakhand)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः क्रमांक–118 / न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 2022 दिनांक जुलाई 23, 2022।

स्वामी / प्रबन्धक
मै0 सैण्ट मैरी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
गंगापुर रोड रूद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर।

3 years

विषय :– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–47816499 दिनांक 13–07–2022 के अनुसार मै0 सैण्ट मैरी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल गंगापुर रोड रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि **अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र / Self Audit Report इस कार्यालय को प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।**

अतः मै0 सैण्ट मैरी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल गंगापुर रोड रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 विद्युत स्विच वोर्ड / विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।
7 विद्यालय में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9.5 किग्रा0, अन्य लैब में एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा मय 04 अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।